न्यूज ब्रीफ

सोशल मीडिया पर धमकी के विरोध में कांग्रेस ने थाने के सामने किया प्रदर्शन

रायपुर | शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया पर करने वाले युवक को धमकी के खिलाफ गुरुवार को गुढ़ियारी थाने के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं के अनुसार, वार्ड में दो दिन से मृत पशु का शव पड़ा था। इसे लेकर युवक तिलक साहू ने सोशल मीडिया पर नगर निगम और संबंधित पार्षद की उदासीनता पर सवाल उठाए थे। शहर अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने कहा कि कुछ वार्डों में पार्षद समर्थकों द्वारा दुर्व्यवहार और धमकी की शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। प्रदर्शन में पंकज शर्मा, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और सुंदर जोगी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सरकारी कर्मचारी ब्रीफ

कैशलेस स्वास्थ्य योजना से बाहर रखे जाने पर पेंशनर संगठनों ने जताई निराशा

रायपुर | छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने राज्य के सवा लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मियों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष पीआर यादव, महामंत्री उमेश मुदलियार और जिला अध्यक्ष राजेंद्र उमाठे ने कहा कि बजट से पेंशनर्स और उनके परिवार को निराशा हाथ लगी है। राज्य बजट में महंगाई राहत और एरियर भुगतान समेत पेंशनरों से जुड़े मुद्दों पर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने कैशलेस स्वास्थ्य योजना से पेंशनरों को बाहर रखने को अन्याय बताया। संगठन ने महंगाई राहत, एरियर और स्वास्थ्य सुविधाओं पर शीघ्र निर्णय की मांग की है।

बजट सत्र • भाजपा विधायकों ने मंत्री से पूछा- एक ही दीवार के आगे मंदिर व पीछे मयखाना कैसे

आबकारी मंत्री ने कहा- स्कूल और मंदिर के आसपास से हटाई जाएंगी सभी शराब दुकानें

भास्कर न्यूज़ | रायपुर

विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन प्रदेश में संचालित शराब दुकानों और अहाता िनर्माण पर सत्तापक्ष के विधायकों ने अपनी ही सरकार के मंत्री को घेरा। विधायकों ने धार्मिक स्थलों, स्कूलों, कॉलोनियों और सर्विस रोड के पास संचालित दुकानों को लेकर आपत्ति जताई।

भाजपा विधायक सुनील सोनी ने कहा कि कटोरा तालाब राजधानी रायपुर का अत्यंत व्यस्त मार्ग है, जहां मेन रोड पर संचालित शराब दुकान एक ही दीवार से मंदिर से सटी हुई है। वहां बनाए गए अहाते के कारण लोगों का जमावड़ा रहता है, जिससे छेड़खानी और आपराधिक गतिविधियों की शिकायतें मिल रही हैं। इसी तरह भाटागांव और संतोषी नगर में सर्विस रोड पर स्थित दुकानों से महिलाओं को आने-जाने में परेशानी होती। भाजपा विधायक सुशांत सिंह ने कहा कि बीरकोना में जल संसाधन विभाग की जमीन पर कब्जा करके चखना का दुकान खोला गया है। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने पूछा कि क्या शराब दुकान खोलने के पूर्व कोई सर्वे होता है। दुकान खोलने के पहले कोई आपत्ति आती है क्या? विधायक अनुज शर्मा ने खरोरा-कटिया रोड और लाभांडी क्षेत्र की दुकानों को हटाने की मांग दोहराई, जबकि विधायक रिकेश सेन ने प्रधानमंत्री आवास योजना क्षेत्र में शराब दुकान खोले जाने पर आपत्ति जताई। आबकारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी शराब दुकानों के स्थालों की जांच करने के निर्देश कुछ दिन पहले दिए गए। जांच रिपोर्ट के बाद जिन शराब दुकानों का संचालन आपत्तिजनक स्थलों पर किया जा रहा है, उसे स्थानांतरित किया जाएगा।

विधायक शुक्ला और श्रीवास्तव आमने-सामने

बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला और कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव आमने-सामने आ गए। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे सदन का माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। काफी देर तक दोनों के बीच बहस होती रही। इससे नाराज होकर शुक्ला रो पड़े। इसके बाद सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए रोकनी पड़ी।

पूर्व मंत्री चंद्राकर और मंत्री जायसवाल के बीच मशीन पर नोकझोंक

विधानसभा में मशीन खरीदी को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अजय चंद्राकर ने कहा कि उन्हें पेट स्कैन और गामा कैमरा मशीनों की अधूरी जानकारी दी गई। पिछले सत्र में मशीनों को सेटअप का हिस्सा बताया गया था, जबकि अब कहा जा रहा है कि वे शामिल नहीं हैं। उन्होंने चर्चा अगले दिन शिफ्ट करने की मांग की। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि दोनों उत्तर सही हैं। जांच में सामने आया है कि मशीनों की वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गई थी, इसलिए वे अधिकृत सेटअप का हिस्सा नहीं मानी जा सकतीं।

चंद्राकर: यदि यह सेटअप में शामिल नहीं है, तो वह मशीन कहां है, किसकी है यह बता दें।

जायसवाल: वित्तीय स्वीकृति नहीं, इसलिए जांच करा रहे है। मेकाहारा में रखी हुई है।

बहस के दौरान **नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत** ने चुटकी लेते हुए पूछा कि वह कौन सा समय है जब बिना वित्तीय स्वीकृति के मशीन खरीद लिया गया है यही बता दें। तब हमलोग समझ जाएंगे कि इधर के हैं या उधर का है।

श्याम बिहारी जायसवाल बोले- यह पूर्व का है, इसका समय बाद में बता दूंगा।

1496 इनामी नक्सलियों को 5.64 करोड़ का भुगतान

विधानसभा में नक्सल पुनर्वास नीति को लेकर सवाल-जवाब हुए। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से नक्सल आत्मसमर्पण और पुनर्वास राशि को लेकर जानकारी मांगी। मंडावी ने कहा कि प्रश्न का उत्तर उन्हें सदन में चर्चा से कुछ देर पहले ही मिला, ऐसे में प्रश्न को अगले दिवस के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि, फिर उन्होंने सवाल पूछा। जवाब में उप मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कुल 2937 नक्सलियों का पुनर्वास हुआ है, जिनमें 1496 इनामी नक्सली शामिल हैं। इन 1496 नक्सलियों के लिए कुल 5 करोड़ 64 लाख रुपए की इनामी राशि निर्धारित है।

फर्जी जाति प्रमाणपत्र के मामलों की विजिलेंस से जांच कराई जाएगी

उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के तेवर कड़े

रायपुर | फर्जी जाति प्रमाणपत्र के मामलों पर उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने तेवर कड़े कर लिए हैं। गुरुवार को आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई। इसमें 10 मामलों पर सुनवाई की गई। समिति ने 4 मामलों में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेते हुए आदेश जारी करने के निर्देश दिए। 2 मामलों में संबंधित पक्षकारों को 10 दिन में प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। समिति ने ऐसे मामलों की विजिलेंस टीम को दोबारा मौके पर जाकर सामाजिक स्थिति की गहन जांच कर 45 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश दिए। बैठक में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर, आदिम जाति अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान की संचालक हिना अनिमेष नेताम, लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ऋतुराज रघुवंशी, भू-अभिलेख संचालक विनीत नदनवार, जाति जांच प्रकोष्ठ की प्रभारी अधिकारी गायत्री नेताम, रमा उइके, डॉ. अनिल विरुलकर, विजिलेंस टीम से डीएसपी एमानुअल लकड़ा, जितेन्द्र गुप्ता और अंजनी भगत उपस्थित थे।

कार्यालय नगर पंचायत नवागढ़ जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

क्रमांक/900/लो.नि.वि./न.पं./2026 नवागढ़, दिनांक 24/02/2026

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना (द्वितीय)

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से नगर पंचायत नवागढ़ के निम्नलिखित कार्यों का ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	टेंडर क्र.	कार्य का नाम	राशि (लाख में)	अमानत राशि
1	186117	वार्ड क्र. 10 छुईया नाला में आर.सी.सी. स्लैब निर्माण कार्य।	99.92	75000.00

नियम एवं शर्तें :- उपरोक्त नियम व शर्तें विभागीय वेबसाईड eproc.cg state.gov.in से देखी जा सकती है। उक्त निविदा में संशोधन होने की स्थिति में विभागीय वेबसाईट www.uad.cg.gov.in अपलोड की जावेगी, जिसकी सूचना दैनिक समाचार पत्र में पृथक से नहीं दी जावेगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत नवागढ़

जंगलों को बचाने के लिए कांग्रेस का आंदोलन जारी

रायपुर | माना-तूता क्षेत्र के जंगलों को बचाने के लिए चल रहा जनआंदोलन लगातार जारी है। इसमें आंदोलनकारियों ने वृक्षों पर रक्षासूत्र बांधकर संरक्षण का संकल्प लिया। पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा और धनेन्द्र साहू ने कहा कि विकास के नाम पर जंगलों की कटाई पर्यावरण और स्थानीय जनजीवन के लिए घातक है। ग्रामीण जिला अध्यक्ष पप्पू बंजारे ने कहा कि हमें विकास से आपत्ति नहीं है। लेकिन अंधाधुंध वृक्ष कटाई से जलवायु असंतुलन, जलसंकट और प्रदूषण बढ़ेगा। प्रकृति का विनाश नहीं होना चाहिए।

कांग्रेस नेता दिग्विजय से कुकरेजा ने की मुलाकात

रायपुर | कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के रायपुर प्रवास के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री आनंद कुकरेजा ने मुलाकात की। कुकरेजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों का दिग्विजय सिंह से पुराना जुड़ाव रहा है। उनके साथ संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा हुई।

*रायपुर | कमल विहार के सेक्टर 8ए में पिछले डेढ़ माह से सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है। कॉलोनी का मुख्य चेंबर गायब हो जाने और शेष चेंबरों के जाम होने से करीब 40-45 घरों के लोग गंभीर परेशानी का सामना कर रहे हैं।

तिरुमला तिरुपति देवस्थानाम्स, तिरुपति

एस.वी. इंस्टिट्यूट ऑफ हायर वैदिक स्टडीज, TTD, तिरुपति
नोटिफिकेशन नंबर 01/2026

Roc No. Po-2/TTD-35021 (88)/32/2019-SVIIIVS Date: 25-02-2026

T.T. देवस्थानम की अहितनि स्कीम के तहत एनरोल होने के लिए एलिजिबल अभ्यर्थियों से एप्लिकेशन मंगाए गए हैं। एप्लिकेशन मिलने की आखिरी तारीख 20.03.2026 है। डिटेल्स के लिए कृपया www.tirumala.org पर जाएं।

सिर्फ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही अप्लाई करें

TTD मैनेजमेंट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से कैंडिडेट को बिना बताए नोटिफिकेशन कैंसिल करने या एनरोलमेंट / इंटरव्यू को पोस्टपोन करने का अधिकार है।

TTD-40021/10/2025-PRO SEC (Adv. No. 418) Date: 26-02-2026 कार्यकारी अधिकारी

स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 1134 पदों पर होंगे आम-उप निर्वाचन

रायपुर | राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकाय के 1134 पदों पर चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में नगरीय और ग्रामीण निकायों के आगामी आम व उप चुनाव की तैयारियों की समीक्षा हुई। प्रदेश में नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 6 और पार्षद के 75 पद रिक्त हैं। वहीं ग्रामीण निकायों में जनपद पंचायत सदस्य के 6, सरपंच के 70 और पंच के 977 पद खाली हैं। इन 1134 पदों पर आम/उप चुनाव कराए जाने हैं। आयोग ने आयुक्त ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। निर्वाचक नामावली को अद्यतन किया जाए। इसके लिए विधानसभा क्षेत्रवार अद्यतन मतदाता सूची का डाटा चुनाव आयोग से शीघ्र लिया जाना चाहिए। ताकि समयबद्ध और त्रुटिरहित नामावली तैयार कर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सके। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार और आयोग की सचिव शिखा राजपूत तिवारी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

रायपुर विकास प्राधिकरण ने सरचार्ज में 50% तक छूट मंजूर किया

रायपुर | रायपुर विकास प्राधिकरण की संचालक मंडल बैठक में अध्यक्ष नंद कुमार साहू की अध्यक्षता में पुरानी योजनाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत LIG, EWS फ्लैट व EWS मकानों की बकाया राशि के एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में रियायत का फैसला हुआ। आवासीय संपत्तियों पर 50% और व्यावसायिक संपत्तियों पर 30% छूट 30 मई 2026 तक मिलेगी, जबकि मूल बकाया में कोई रियायत नहीं होगी। एक अधिकारी ने कहा कि इससे हितग्राहियों को राहत और प्राधिकरण को वसूली में मदद मिलेगी। एक आवास विशेषज्ञ ने इसे फंसी वसूली खोलने वाला कदम बताया। एक हितग्राही के मुताबिक कि सरचार्ज घटने से भुगतान संभव होगा। बैठक में आरक्षित कोटे का तीन बार विज्ञापन के बाद सामान्य कोटे में परिवर्तन, टिकरापारा में 96 टेनामेंट के पुनर्निर्माण में 144 फ्लैट, 9 दुकानें, पार्किंग हेतु भूतल और आठवें तल तक निर्माण, तथा आवासीय भूखंड के व्यावसायिक उपयोग पर फ्री-होल्ड/लीज नवीनीकरण के लिए अर्थदंड वसूली पर भी निर्णय हुआ।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

स्टेशनों पर नई कैटरिंग पहल की अनुमति हेतु प्रस्ताव आमंत्रण के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (EOI)

1. **कार्यक्षेत्र** : रायपुर मंडल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, स्टेशनों पर नवीन/नई कैटरिंग पहल की अनुमति देने का प्रस्ताव आमंत्रित करता है। यह अनुमति प्रारंभिक अवधि दो (02) वर्षों के लिए होगी, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन कुल पाँच (05) वर्षों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।
2. **पात्रता** :
आवेदक : • व्यक्ति / फर्म / कंपनी / एलएलपी / पंजीकृत संस्थाएँ, जिनके पास कैटरिंग, खाद्य एवं पेय सेवाओं, आतिथ्य या संबंधित गतिविधियों का अनुभव हो। • लागू पंजीकरण/लाइसेंस (जैसे FSSAI, GST आदि) होना चाहिए। • पर्याप्त वित्तीय क्षमता तथा संतोषजनक कार्य-रिकॉर्ड होना चाहिए।
3. **स्वीकृति एवं शर्तें** :• पहल की स्वीकृति एसोसिएट फाइनेंस की सहमति तथा मंडल रेल प्रबंधक की स्वीकृति के अधीन होगी। • प्रारंभिक दो वर्षों के बाद और पाँच वर्षों तक की अवधि बढ़ाने के लिए महाप्रबंधक की स्वीकृति आवश्यक होगी। • सभी पहलें लागू रेलवे नियमों, नीतियों एवं वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करेंगी। • वाणिज्यिक परिपत्र 20/2017, वाणिज्यिक परिपत्र 61/2017 एवं वाणिज्यिक परिपत्र 04/2016 का कड़ाई से पालन किया जाएगा। • नई/नवोन्मेषी कैटरिंग पहल के लिए EOI में वे कैटरिंग इकाइयाँ शामिल नहीं होंगी, जो पहले से कैटरिंग नीति 2017 एवं मल्टीपर्पज़ स्टॉल नीति 2018 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं।• कैटरिंग नीति में वर्गीकृत इकाइयाँ हैं: टी स्टॉल, मिल्क स्टॉल, जूस स्टॉल एवं मल्टीपर्पज़ स्टॉल।
4. **EOI प्रस्तुत करना** : इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र में सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। • **अंतिम तिथि एवं समय** : 02.03.2026: 16:00 बजे • **प्रस्तुत करने का तरीका** : ऑफलाइन •**प्रस्तुत करने का स्थान** : कार्यालय सिनि. डीसीएम, डीआरएम कॉम्प्लेक्स, रायपुर, वॉल्टियर लाइन के पास, पीओ-डब्ल्यूआरएस कॉलोनी, पिन-492008
5. **अस्वीकरण** : रेलवे प्रशासन बिना किसी कारण बताए, किसी भी या सभी EOI को स्वीकार या अस्वीकार करने, प्रक्रिया को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

किसी भी जानकारी हेतु संपर्क करें: श्री ए. एस. बाबू, सीसीआई/आर/केटरिंग, **फोन:** 9752877959 वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक द.पू.म. रेलवे., रायपुर

PR/R/Sr.DCM/AAA/336

South East Central Railway @secrail

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर मण्डल क्रमांक 1 (छत्तीसगढ़)

निविदा सूचना

(प्रथम आमंत्रण)

Authorized Dealer से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है :-

एन.आई.टी. क्र. / सिस्टम टेन्डर नं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत रू. (लाख में)
1	2	3
308/186266	PROVIDING AND FIXING OF CURTAINS AT NEW VIDHAN SABHA BUILDING, SECTOR 19, ATAL NAGAR, NAVA RAIPUR	रू. 102.02 लाख

निविदा डाउनलोड़ करने की अंतिम तिथि दिनांक 16.03.2026 समय सायं 5:30 बजे तक

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी https://eproc.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड की जा सकती है।

अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
रायपुर मंडल क्रं.-1, रायपुर (छ.ग.)

जी-252606933

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
वि./यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग सकरी, बिलासपुर (छ.ग.)

निविदा निरस्तीकरण आदेश

पत्र क्र. 871/व.ले.लि./2025-26 बिलासपुर दिनांक 25.02.26

प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर के पृष्ठां. क्रं. 4263573/निविदा प्रकोष्ठ/2025/4054/TC नया रायपुर दिनांक 16.02.2026 के परिपालन में इस कार्यालय के निविदा सूचना क्रं. 25/व.ले.लि./2025-26 दिनांक 21.01.2026 बिलासपुर जिले के विकासखण्ड बिल्हा अंतर्गत लछनपुर व्यपवर्तन योजना के जलद्वारों का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य (चतुर्थ आमंत्रण) निविदा सिस्टम क्रं. 184168 को निविदा में प्रतिभागी निविदाकार की संख्या निरंक होने के कारण निविदा निरस्त किया जाता है।

विज्ञापन क्रं. जी 252606208/2 दिनांक 24.01.2026

कार्यपालन अभियंता
वि./ यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग सकरी, बिलासपुर (छ.ग.)

जी-252606919

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
'सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन, सेक्टर-24, कयाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर - 492018
फोन - 0771-2990592, email-mdcgmandiboard@gmail.com, website-www.agriportal.cg.nic.in

क्र. /बी-6/मंडी कोपागुड़ा जगदलपुर / 54-01 / 25-26/8768 रायपुर, दिनांक 25/02/2026

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना

Main Portal: http://eproc.cgstate.gov.in

कृषि उपज मंडी समिति कोपागुड़ा जगदलपुर जिला बस्तर अंतर्गत छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड द्वारा ऑनलाईन निविदाएँ छ.ग. लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत, सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारो से प्रपत्र 'अ ' प्रतिशत दर पर अधोलिखित निर्माण कार्यों हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती है :-

ऑनलाईन निविदा डालने की अंतिम तिथि - 20.03.2026
फिजिकल सबमिशन की अंतिम तिथि - 30.03.2026

क्र.	कार्य का नाम / स्थल	अनुमानित लागत (लाख में)	एस.ओ. आर विवरण
1	ग्राम भेजापदर वि.ख. जगदलपुर में सी.सी. सडक सह नाली निर्माण कार्य चर्च से गाय गौठान तक 300 मीटर (द्वितीय आमंत्रण)	16.49	लो.नि.वि. सड़क कार्य हेतु दिनांक 01.01.2015 प्रभावशील एस. ओ. आर पर ।
2	ग्राम लेण्ड्रा, वि.ख. दरभा में किसान भवन निर्माण कार्य (द्वितीय आमंत्रण)	23.52	लो.नि.वि. भवन कार्य हेतु दिनांक 01.01.2015 एवं विद्युत कार्य दिनांक 01.07.2015 प्रभावशील एस. ओ. आर पर ।
3	ग्राम साडगुड, वि.ख. जगदलपुर में किसान भवन निर्माण कार्य (तृतीय आमंत्रण)	23.52	

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य एवं विशेष शर्तें धरोहर राशि, निविदा विज्ञप्ति निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल http://eproc.cgstate.gov.in वेबसाईट पर निर्धारित तिथि तक देखे जा सकते है ।

सही /- सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, कोपागुड़ा - जगदलपुर जिला बस्तर
सही /- भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति कोपागुड़ा - जगदलपुर जिला बस्तर

सं.-47021

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

क्षेत्रीय कार्यालय- बिलासपुर, पहली मंजिल, टीआर कॉम्प्लेक्स, एसबीआई के सामने, राजकिशोर नगर, लिंगियाडीह, बिलासपुर-495006 (छ.ग.), 07752-310229 / 310231
ई-मेलः recovery.bilaspur@bankofbaroda.com

बिक्री सूचना संपत्तियों की ई-नीलामी-"परिशिष्ट- IV - ए (नियम 8(6) और 9(1) देखें)"

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत चल / अचल संपत्तियों की ई-नीलामी रखी गई हैं। इस सूचना के द्वारा आम जनता और विशेषकर ऋणी, बंधककर्ता(ओं) एवं जमानतकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता हैं कि निम्नवर्णित दृष्टिबंधक / गिरवीं / बंधक चल / अचल संपत्तियों जो कि प्रतिभूति लेनदार के पक्ष में, जिनका सांकेतिक / भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका हैं कि बिक्री निम्नवर्णित खातों में वसूली के लिए ई-नीलामी द्वारा " जो हैं जहां हैं ", " जो हैं जैसी हैं " एवं " जो कुछ भी हैं " के आधार पर रखी गई हैं। कर्जदारों / जमानतदारों / सिक्योर्ड एसेट्स / बकाया / आरक्षित मूल्य / ई-नीलामी की तारीख, समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया हैं:-

क्र.	ऋणकर्ता/जमानतदार(ओं) बंधककर्ता(ओं) का विवरण नाम एवं पता	चल/अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण के साथ बैंक की जानकारी में कोई अधिभार नहीं हैं.	कुल बकाया राशि	1. प्रारक्षित मूल्य 2. बयाना एवं 3. बोली राशि	कब्जे का स्वरूप सांकेतिक/ भौतिक
01	मेसर्स गरुडेक्स ड्रोन प्रोप. श्री अंकित अग्रवाल वार्ड नं.-01, हमालपारा, मदनपुर रोड, खरसिया, रायगढ़ (छ.ग.)- 496661	भूमि स्थित खसरा नं. - 327 / 3 , क्षेत्रफल - 0.467 हेक्टेयर परिवर्तित भूमि (व्यवसायिक कारण) स्थित ग्राम- नवापारा टेन्डा, प.ह.नं.- 20, तहसील- घरगोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.). संपत्ति की सीमाएं: पूर्व-सीताराम और अन्य की भूमि, पश्चिम- नारायण अग्रवाल, नटवर मित्तल और अन्य की भूमि, उत्तर - पक्की रोड, दक्षिण - कुवारो और अन्य की भूमि.	रु. 49,75,077.19 + ब्याज + अन्य प्रभार	रु. 85,50,000.00 रु. 8,55,000.00 रु. 10,000.00	भौतिक कब्जा

ई-नीलामी की तिथि एवं समय 30.03.2026, दोपहर 2:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक एवं संपत्ति निरीक्षण करने की तिथि एवं समय 23.03.2026 दोपहर 1:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक | बिक्री संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm एवं ऑनलाइन ई-नीलामी पोर्टल https://baanknet.com में दिये गये लिंक का संदर्भ लें. भावी बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी से फोन 9752410788 पर भी संपर्क कर सकते हैं.

बिक्री सूचना संपत्तियों की ई-नीलामी-"परिशिष्ट- IV - ए (नियम 6(2) और 8(6) देखें)"

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) और 8(6) के अंतर्गत चल / अचल संपत्तियों की ई-नीलामी रखी गई हैं। इस सूचना के द्वारा आम जनता और विशेषकर ऋणी, बंधककर्ता(ओं) एवं जमानतकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता हैं कि निम्नवर्णित दृष्टिबंधक / गिरवीं / बंधक चल / अचल संपत्तियों जो कि प्रतिभूति लेनदार के पक्ष में, जिनका सांकेतिक / भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका हैं कि बिक्री निम्नवर्णित खातों में वसूली के लिए ई-नीलामी द्वारा " जो हैं जहां हैं ", " जो हैं जैसी हैं " एवं " जो कुछ भी हैं " के आधार पर रखी गई हैं। कर्जदारों / जमानतदारों / सिक्योर्ड एसेट्स / बकाया / आरक्षित मूल्य / ई-नीलामी की तारीख, समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया हैं:-

क्र.	ऋणकर्ता/जमानतदार(ओं) बंधककर्ता(ओं) का विवरण नाम एवं पता	चल/अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण के साथ बैंक की जानकारी में कोई अधिभार नहीं हैं.	कुल बकाया राशि	1. प्रारक्षित मूल्य 2. बयाना एवं 3. बोली राशि	कब्जे का स्वरूप सांकेतिक/ भौतिक
01	1) श्रीमती पूर्णिमा बर्मन (आवेदक), मौजा-धौराभाटा, तहसील - भाटापारा, जिला- बलौदाबाजार, छ.ग. - 493118, 2) श्री राजेश बर्मन पिता श्री सुमन प्रसाद (सह-आवेदक) वार्ड नं.- 11 मुड़िया, पोस्ट-कोडवा, तहसील-मुंगेली, जिला मुंगेली (छ.ग.)- 495334	साम्यिक बंधक अचल संपत्ति क्षेत्रफल - 1100 वर्गफीट मौजा - आदर्श नगर, धौराभाठा, आरआईसी एवं तहसील-भाटापारा, जिला- बलौदा बाजार, छ.ग. , पिन: 493118 , खसरा नं. - 65 / 219, प.ह.नं. - 12 हैं जो श्रीमती पूर्णिमा बर्मन के नाम पर हैं. सीमाएं: उत्तर - छाबड़या की भूमि, दक्षिण- रोड, पूर्व- चंद्रभान कुकरेजा की भूमि, पश्चिम- पूनम मंदानी और अन्य की भूमि.	रु. 27,90,298.00 + ब्याज + अन्य प्रभार	रु. 21,38,000.00 रु. 2,14,000.00 रु. 10,000.00	भौतिक कब्जा

ई-नीलामी की तिथि एवं समय 18.03.2026, दोपहर 2:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक एवं संपत्ति निरीक्षण करने की तिथि एवं समय 11.03.2026 दोपहर 1:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक | बिक्री संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm एवं ऑनलाइन ई-नीलामी पोर्टल https://baanknet.com में दिये गये लिंक का संदर्भ लें. भावी बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी से फोन 07752 310237 पर भी संपर्क कर सकते हैं.

दिनांक : 27.02.2026, स्थानः बिलासपुर (छ.ग.) प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ़ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

क्षेत्रीय कार्यालय- बिलासपुर, पहली मंजिल, टीआर कॉम्प्लेक्स, एसबीआई के सामने, राजकिशोर नगर, लिंगियाडीह, बिलासपुर-495006 (छ.ग.), 07752-310229 / 310231
ई-मेलः recovery.bilaspur@bankofbaroda.com

बिक्री सूचना (ई-नीलामी) चल संपत्तियों की ई-नीलामी

दृष्टिबंधक अनुबंध के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चल संपत्तियों की ई-नीलामी रखी गई हैं, इस सूचना के द्वारा आम जनता और विशेष रुप से ऋणी एवं जमानतकर्ता को सूचित किया जाता हैं कि निम्नवर्णित दृष्टिबंधक चल संपत्तियों जो कि प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में, जिनका भौतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चूका हैं की ई-नीलामी "जो हैं जैसी हैं जहां हैं एवं जो कुछ भी हैं" के आधार पर रखी गई है. ऋणकर्ता एवं संपत्ति का विवरण निम्नानुसार हैं:
नीलामी बैंक ऑफ़ बड़ौदा की वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से दिनांक 18 एवं 30 मार्च 2026 को दोपहर 02.00 बजे से अपरान्ह 6.00 बजे के बीच ऑनलाइन ई-नीलामी से होगी।

क्र.	शाखा / दूरभाष सं.	ऋणकर्ता / बंधककर्ता का विवरण	बिक्री होने वाली संपत्ति का विस्तृत विवरण	वर्ष	बकाया ऋण (रू.)	प्रारक्षित मूल्य / बयाना राशि(रू.)
		15 दिवसीय बिक्री सूचना क्रमांक 01-02-03 का दिनांक 18.03.2026 हैं				
01	जशपुर शाखा , जशपुर 7797201001	श्री अब्दुल लतीफ अंसारी पिता श्री नसरुद्दीन अंसारी, मकान नं.- 104, भागलपुर, जिला - जशपुर , छत्तीसगढ़ - 496225	TATA ALTROZ XZ +OS 1.2P BS6PH2 CAR (RC No. CG 14 MS 9982)	2023	रु. 10,89,376/- + ब्याज एवं अन्य प्रभार	रु. 6,19,650/- रु. 61,965/- 15 दिवसीय ई-ऑक्शन
02	जशपुर शाखा , जशपुर 7797201001	श्री देवानंद मिश्रा पिता श्री विजय भूषण मिश्रा वार्ड नं. 5, मुख्य सड़क, ग्राम तपकरा, फरसाबहार जिला- जशपुर, छ.ग. - 496227	TATA SAFARI XT 2.0 L KRYOTEC BSVI CAR	2023	रु. 17,46,091/- + ब्याज एवं अन्य प्रभार	रु. 9,84,150/- रु. 98,415/- 15 दिवसीय ई-ऑक्शन
03	भिट्टीकला शाखा भिट्टीकला 9752425073	श्री हकीम दास मानिकपुरी एवं श्री सोखा दास मानिकपुरी, ग्राम पंचायत बेलदागी, पोस्ट लखनपुर जिला - अंबिकापुर, छ.ग.- 497116	GROMAX AGRI EQUIPMENT LTD TRAKSTAR 536,TRACTOR (RC No. CG 15 EA 5765)	2023	रु. 5,19,969/- + ब्याज एवं अन्य प्रभार	रु. 1,80,000/- रु. 18,000/- 15 दिवसीय ई-ऑक्शन
		30 दिवसीय बिक्री सूचना क्रमांक 04-05-06 का दिनांक 30.03.2026 हैं				
04	जशपुर शाखा , जशपुर 7797201001	श्री शिवप्रसाद राम पिता श्री बुधराम ग्राम - वासुदेव पुर चराईडांड, जिला-जशपुर, छ.ग.- 496225	TATA TIGOR XM 1.2 RTN BS6PH2 CAR (RC No. CG 14 MU 1751)	2024	रु. 7,19,144/- + ब्याज एवं अन्य प्रभार	रु. 4,50,000/- रु. 45,000/- 30 दिवसीय ई-ऑक्शन
05	जशपुर शाखा , जशपुर 7797201001	श्री तरुण भगत पिता श्री ललित कुमार भगत, 219, टंकी टोली वार्ड नं. - 06, जशपुरनगर जिला जशपुर, छ.ग.- 496227	TATA NEXON CRTV+DK PMT CAR (RC No. CG 14 MT 9177)	2024	रु. 11,70,477/- + ब्याज एवं अन्य प्रभार	रु. 6,50,000/- रु. 65,000/- 30 दिवसीय ई-ऑक्शन
06	निहारिका कोरबा शाखा 7024101845	श्री राजन ठाकुरी पिता श्री प्रेम बहादुर ठाकुरी पता: 19 / बी, वार्ड नं. 32, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, रामपुर, कोरबा (छ.ग.), पिन- 495677	RENAULT TRIBER RXT MT 1L ECE CAR (RC No. CG 12 BM 9754)	2024	रु. 9,50,000/- + ब्याज एवं अन्य प्रभार	रु. 3,00,000/- रु. 30,000/- 30 दिवसीय ई-ऑक्शन

बयाना राशि जमा करने की अंतिम तारीख 18 एवं 30 मार्च 2026 हैं समय दोप.12.00 बजे तक. इच्छुक बोलीदाता संपत्ति का निरीक्षण दिनांक 11 एवं 23 मार्च 2026 को दोपहर 01.00 बजे से लेकर अपरान्ह 04.00 बजे के बीच किया जा सकता हैं. बोली लगाने वाले व्यक्ति बोली के समय अपने प्रस्ताव को रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) के गुणज में उन्नत कर सकते हैं. बिक्री संबंधित विस्तृत जानकारी ई-नीलामी एजेन्सी की वेबसाइट https://baanknet.com से प्राप्त की जा सकती हैं. सांविधिक 15 एवं 30 दिवसीय बिक्री नोटिस. ऋणकर्ताओं / गारंटीकर्ताओं को एतद् द्वारा नीलामी तिथि से पूर्व उपरोक्त लिखित राशि का भुगतान करने की सूचना दी जाती है, अन्यथा संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी एवं शेष बकाया यदि कोई होगी तो उसकी वसूली विधिक पद्धति से उनसे लागत व ब्याज सहित कर ली जाएगी.

दिनांक: 27.02.2026, स्थान: बिलासपुर (छ.ग.) प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ़ बड़ौदा